उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 65/2016/1196/छप्पन-2016-3/2007
लखनऊ : दिनांक : 30 अगस्त, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-64/2016/1195/छप्पन-2016-3/2007, दिनांक 30 अगस्त, 2016 द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादन हेतु दिनांक 01.9.2016 से दिनांक 28.2.2017 तक के लिए सृजित विशेष कार्याधिकारी पदेन निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 के नि:संवर्गीय अस्थायी पद पर श्री देवेन्द्र स्वरूप को दिनांक 01.9.2016 से दिनांक 28.2.2017 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या- 1/12/97-का-4-1997, दिनांक 17.11.1997 सपठित शासनादेश संख्या- 1/12/97-का-4-2002, दिनांक 07.8.2002 द्वारा विहित अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा को शिथिल करते हुए प्रश्नगत पुनर्नियुक्ति की जा रही है।

(2) श्री देवेन्द्र स्वरूप को अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(3) पुनर्योजन की अवधि में श्री देवेन्द्र स्वरूप को वह नियत वेतनमान अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इनमें जो भी कम हो से अधिक न होगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(4) श्री देवेन्द्र स्वरूप को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(5) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त अवधि में श्री देवेन्द्र स्वरूप को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगा जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

(7) श्री देवेन्द्र स्वरूप को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य होगी।

(8) उक्त नि:संवर्गीय पद की प्रास्थिति निदेशक, नागरिक उड्डयन के पद के समकक्ष होगी और श्री देवेन्द्र स्वरूप को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य थी।

2- उपर्युक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- " 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-790/दस-2016, दिनांक 30.8.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 65/2016/1196(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
6- कार्मिक अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।